राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2281/2007/जयपुर

मैसर्स एग्रोमैक राजस्थान,
वनस्थली मार्ग, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वार्ड द्वितीय,
सर्किल प्रथम, राजस्थान, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एस.के.जैन .....अपीलार्थी की ओर से
अभिभाषक
श्री एन.के.वैद
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.01.2017

निर्णय

1. अपीलकर्ता ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) की अपील संख्या 112/आरएसटी/2001–02/जी/ 2004–05 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 30, 65, 62 व 58 के तहत् पारित आदेश दिनांक 27.10.2001 को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.01.2001 को सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। करापवंचन के संदेह में अधिनियम की धारा 77(4) के तहत उपलब्ध रिकोर्ड कब्जेराज लिये जाकर जांच करवाई गई। उक्त रिकार्ड की जांच करने पर अपंजीकृत फर्म मैसर्स बायोहर्बस इंक, गोपालबाडी जयपुर से रूपये 1,16,600/– की प्रेस्टीसाइड की, की गई खरीद एवं रूपये 4,688/– की पेस्टीसाइड के मुम्बई से किये गये आयात को वार्षिक बिक्री प्रपत्र "5ए" में पृथक से नहीं बताये जाने के कारण अधिनियम की धारा 30, 65, 62 एवं 58 के तहत कर एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गयें। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए अधोषित बिक्री रूपये 1,72,229/– पर 4 प्रतिशत कर, 15 प्रतिशत अधिभार, धारा 65 के तहत् शास्ति, धारा 58 के तहत ब्याज एवं धारा 62 के तहत शास्ति रूपये का आरोपण कर कुल रूपये 34,628/– रूपये की मांग कायम की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.05.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

..... लगातार 2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4 अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में रूपये 1,16,600/– की राशि पर 42 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर तथा रूपये 4,688/– का प्रेस्टीसाइड आयात प्रपत्र में पृथक से नहीं दर्शाये जाने के कारण इस राशि में भी लाभ की राशि जोड़कर रूपये 1,72,229/– पर करारोपण किया गया है तथा रुपये 5000/– की शास्ति का आरोपण किया गया। इस संबंध में सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब में उक्त माल प्रेस्टीसाइड नहीं होने के संबंध में निवेदन किया गया था। प्रस्तुत जवाब में लिखा गया था कि यह माल प्लाट ओ–पॉवर (प्लांट ग्रोथ प्रमोटर) व बायो मिराकल है जो कि पेड़ों को बढ़ाने में मददगार है। इस प्रकार यह प्रेस्टीसाइड या केमीकल नहीं है तथा पेड़ों के उत्पाद में एवं उसको बढ़ाने में सहायक है, अतः यह उत्पाद कर मुक्त है। उन्होने यह भी कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में इस माल को केमीकल फर्टीलाइजर की 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना गया है, जो कि अविधिक व अनुचित है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा रुपये 4,688/ को अपास्त करते हुये शास्ति राशि रुपये 5,000/– को रूपये 1,000/– की सीमा तक कायम रख दिया, परन्तु रुपये 1,16,600/ की खरीद की गई पेस्टीसाईड बिना किसी जांच के कर योग्य मानते हुए अविधिक आदेश पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। अपने उक्त कथन के साथ विद्वान अधिवक्ता द्वारा रुपये 1,16,600/– की खरीद की गई पेस्टीसाईड को कर मुक्त मानते हुए आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक है एवं उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः अपीलीय आदेश को यथावत रखा जाये।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकरी द्वारा बिना किसी जांच के उक्त वस्तु को केमिकल फर्टीलाईजर मानकर रूपये 1,16,600/– की बिक्री को मनमाने ढंग से करारोपण किया गया है। इसके संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई है जबकि उत्पाद (प्लांट–ओ–पावर तथा बायो मिराकल) को करमुक्त होना माना है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे संबंधित उत्पाद के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः करारोपण के बारे में निर्णय पारित करें।

7. जहां तक रुपये 4688/– की पेस्टीसाईड को लेखा पुस्तकों में इन्द्राज न किये जाने का प्रश्न है अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त खरीद को सही माना गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

..... लगातार 3

8. जहां तक धारा 62 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकें प्रस्तुत न किये जाने का युक्तियुक्त कारण बता दिया गया था अतः इस बिंदु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को रुपये 1,000/– की सीमा तक सीमित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः इस संबंध में भी अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा रूपये 1,16,600/– की खरीद के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे संबंधित उत्पाद के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष